

- (ड.) कोई अन्य विनिर्माता जो विशेष सुविधाओं वाले पैकेजों में पिपेरसिलिन (ए) + ताज़ोबैक्टम (बी) इंजेक्शन के लिए पाउडर (i) 2 ग्राम (ए) + 250 मिलीग्राम (बी) (ii) 4 ग्राम (ए) + 500 मिलीग्राम (बी) प्रत्येक दोहरे चैम्बर बैग, के लिए अलग अधिकतम मूल्य का दावा करता है तो वह अलग अधिकतम मूल्य अनुमोदन के लिए एनपीपीए को आवेदन करेगा।
- (च) यदि संशोधन किया जाता है तो, इसकी सूचना ऐसे संशोधनों को किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर की अवधि में प्रपत्र-II के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा वास्तविक किसी भी तौर पर सरकार को अग्रेषित की जाएगी और इस उप-पैराग्राफ के तहत सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने को अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन नहीं किया जाना माना जाएगा और संबंधित निर्माता अधिक शुल्क लेने की तिथि से उस पर ब्याज सहित पूर्व-संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (छ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। विनिर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म ट में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करेगा तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरक को जारी करेगा।
- (ज) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (झ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और पबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ञ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना से एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है, तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ट) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और नोट का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ठ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश, यदि कोई हो, जो इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां. सं./254/122/2024/एफ/फा. सं. 8(122)/2024/डीपी/एनपीपीए.—डिवी—II]

युविका पंवार, सहायक निदेशक

### ORDER

New Delhi, the 26th March, 2024

**S.O. 1554(E).**—In exercise of powers, conferred by sub paragraph (3) and (4) of paragraph 11,14 and 16 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013, S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. No. 4077(E) dated 15.09.2023 in so far as it relate to formulation packs mentioned in the Table A below, manufactured by the manufacturers specified in Table B for specified products and pack-sizes, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby revises the price based on Wholesale price index (WPI) of 2023 as specified in column (5) of the Table A herein below as separate ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the

scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form and strength and unit/packaging specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE A**

Price Revision as per Annual Wholesale Price Index (WPI) @ 0.00551% increase.

| Sl. No. | Medicines                         | Dosage form and Strength                 | Unit                                      | Ceiling price (wef 01.04.2024 with WPI @ 0.00551%) (in Rs.) |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|
| (1)     | (2)                               | (3)                                      | (4)                                       | (5)   |
| 1       | Piperacillin (A) + Tazobactam (B) | Powder for Injection 2 g (A) + 250 mg(B) | Per Dual chamber bag with special feature | 220.27  |
| 2       | Piperacillin (A) + Tazobactam (B) | Powder for Injection 4 g (A) + 500 mg(B) | Per Dual chamber bag with special feature | 459.31  |

**TABLE 'B'**

| Sl. No. | Name of Manufacturer          | Product /Brand Name     |
|---------|-------------------------------|-------------------------|
| (1)     | (2)                           | (3)                     |
| 1       | M/s Gufic Biosciences Limited | Tazofic Injection (DCB) |

**Note:**

- The ceiling prices are applicable with effect from 01.04.2024 (ceiling prices are inclusive of Wholesale Price Index (WPI) @ 0.00551% for the year 2023 over 2022).
- The manufacturers of scheduled formulations, selling abovesaid products/brand name of scheduled formulations at price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.
- The manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price notified vide S.O. No. 4077(E) dated 15.09.2023 (plus Goods and Services Tax as applicable, if any), may revise the existing M.R.P. of their formulations, on the basis of WPI @ 0.00551% for year 2023 over 2022 in accordance with paragraph 16(2) of DPCO, 2013.
- The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- Any other manufacturer claiming separate ceiling price for Piperacillin (A) + Tazobactam (B) Injection (i) Powder for injection 2g (A) + 250gm (B) (ii) 4g (A) + 500gm (B) Per Dual chamber bag having special features shall apply to NPPA for separate ceiling price approval.
- Information about the revision, if carried out, shall be forwarded to the Government in either electronic or physical form in Form-II within a period of fifteen days of such revision and non-submission of information under this sub-paragraph shall be construed as non revision of maximum retail price (MRP) and the concerned manufacturer shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised maximum retail price (MRP), alongwith interest thereon from the date of overcharging.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

- (i) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1) (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (j) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (k) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (l) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/254/122/2024/F/F. No. 8(122)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

YUVIKA PANWAR, Assistant Director

### आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1555(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 11 के उप पैरा (3) और (4) पैरा 14 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश का. आ. 1576(अ) दिनांक 31.03.2023, 1584(अ) दिनांक 31.03.2023, 4663(अ) दिनांक 25.10.2023, 4889(अ) दिनांक 10.11.2023 और 426(अ) दिनांक 02.02.2024 आदेश के अधिक्रमण में जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी 'क' में विनिर्मित से हैं। नीचे दी गई सारणी ख में विनिर्दिष्ट निर्माता के विशेष उत्पाद एवं पैक आकार, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, एतद्वारा, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), 2023 पर आधारित संशोधन करता है, जैसा कि नीचे की सारणी 'क' के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की गई क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई (यूनिट)/पैकेजिंग सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

### सारणी 'क'

वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर संशोधित मूल्य /0.00551% बढाकर

| क्र. सं. | दवाइयां       | खुराक रूप एवं प्रबलता   | इकाई       | अधिकतम कीमत (@ 0.00551% की दर से 01.04.2024 से प्रभावी) (रु.) |
|----------|---------------|---|------------|---|
| (1)      | (2)           | (3)   | (4)        | (5)   |
| 1        | मेट्रोनिडाजोल | गैर-ग्लास विशेष विशेषताएं पैकेज के लिए 100मिली पैक में इंजेक्शन (0.5% डब्ल्यू/वी)/ 500 मिलीग्राम/ 100मिली | प्रति मिली | 0.25  |

### सारणी 'ख'

| क.सं. | निर्माताओं का नाम                                  | उत्पाद/ब्रांड का नाम  |
|-------|--|-----------------------|
| (1)   | (2)  | (3)                   |
| 1.    | मैसर्स ओत्सुका फार्मास्युटिकल इंडिया प्रा. लिमिटेड | यूरोहेड बोतल          |
| 2.    | मैसर्स डेनिस केम लेब प्रा. लिमिटेड                 | यूरोहेड प्रोपलीन बोतल |